फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर सम्भाग, बीकानेर

1. करतार सिंह पुत्र श्री गंगासिंह जाति रामगढ़ीया सिक्ख निवासी वार्ड नं. 21 अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये राजकीय अभिभाषक।
2. कर्मजीत सिंह पिसरान श्री नंदसिंह पुत्र गंगासिंह रामगढ़ीया सिक्ख निवासी वार्ड नं. 21 अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. हर भगवान सिंह पिसरान श्री नंद सिंह पुत्र गंगासिंह रामगढ़ीया सिक्ख निवासी वार्ड नं. 21 अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

अपील सं.– 125 / 2014

GCMS No.–2012 / 00046

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	न० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.04.2024	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलान्ट श्री जगदीश शर्मा अनुपस्थित। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2, 3 श्री करण सिंह तंवर उपस्थित। यह अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 23.12.2011 के विरूद्ध एल.आर.एक्ट की धारा 76 के अंतर्गत इस न्यायालय में विचाराधीन है। अभिभाषक अपीलान्ट एवं अपीलान्ट के नाम रुक–रुक कर आवाज लगवाई गयी। बार–बार आवाज लगवाये जाने के बावजूद न तो अभिभाषक अपीलान्ट और न ही स्वयं अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित हुए। अपीलान्ट द्वारा जरिये अभिभाषक न्याय की वांछा लेकर इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी थी, किंतु अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट की अनुपस्थिति तथा न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश का अभाव अपील चलाने में उनकी अरुचि जाहिर करती है। अतः यह अपील अपीलान्ट अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड प्रेषित हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश आज दिनांक 16.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। 16/4/24 (वन्दना सिंघवी) संभागीय आयुक्त, बीकानेर	